न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

6(ए) वाद संख्या–36 / 2014

बिहार सरकार द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहवाड़ा –बनाम– मो0 शफी शाहजाद

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
09.03.2018	<u>आदेश</u> उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहवाड़ा ने अपने पत्रांक 90 दिनांक 07.07.2014 से प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 04.07.2014 को हरपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता मो0 शाहजाद वल्द हबीबुर रहमान साकिन सरैया के दुकान से 33.50 क्विंटल गेहूँ 60 क्विंटल चावल तथा 1400 लीटर किरासन तेल जब्त कर सिमरी थाना कांड संख्या–93 / 2014 दर्ज कराया गया है। जब्त खाद्यान्न के अधिहरण हेतु अनुशंसा की गयी है। सामान्य अनुक्रम में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2014 से जब्त खाद्यान्न एवं किरासन तेल लाभुकों के बीच वितरण कराकर प्राप्त राशि अनुमंडल में जमा करने एवं विपक्षी को कारण पृच्छा निर्गत करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा से प्रतिवेदन एवं विपक्षी की कारण–पृच्छा प्राप्त है तथा अभिलेख पर संधारित है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2015 विपक्षी पुकार पर अनुपस्थित हैं। विपक्षी को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया, फिर भी अनुपस्थित रहने के कारण स्वतः वंचित हैं। फलतः एकपक्षीय सुनवाई की गयी। विपक्षी के कारण पृच्छा में कहना है कि प्रस्तुत मुकदमा वादी बउए लाल मिश्र, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज हुआ। वादी द्वारा लगाये गये सभी आरोप की स्थानीय स्तर पर जाँच की गयी कि लगाये गये आरोपों की सत्यता की जाँच निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डी0आर0डी0ए0 के द्वारा भी किया गया कि मो0 शफी शाहजाद पर लगाये गये आरोप तथ्यहीन प्रमाणित हुए। लेखा प्रशासन द्वारा लाईसेंस, भंडार पंजी, रजिस्टर सहित अन्य सामग्री की जाँच की गयी एवं किसी भी तरह की अनियमितता की बात सामने नहीं आयी। इनका यह भी कथन है कि दिनांक 04.07.2014 को आवेदक के ज0वि0प्र0 दुकान पर अचानक ए0एस0आई0 एवं मानीटरिंग ऑफिसर छापामारी किया एवं ज0वि0प्र0 के दुकान पर रखे सामानों को अपने साथ लेकर चले गये। उस समय ज0वि0प्र0 दुकान में 120 बोरा चावल, 67 बोरा गेहूँ, 1400 लीटर किरासन तेल एवं डिजिटल बैलेंस बाटा था। इनका यह भी कथन है कि पी0एच0एच0 योजना मद का माह मार्च 2014 का गेहूँ 86.62 क्विंटल एवं चावल 129.93 क्विंटल विक्रेता–आवेदक	

स्थानीय प्रतिनिधि के देख–रेख में पूर्णतः वितरण कर चुके हैं। किरासन तेल माह जून 2014 वितरण कर रहे थे, जिसमें शेष 1410. 750 ग्राम बचा था, जो बिना वजन किये छापामारी के दरम्यान लेते चले गये, जो नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। मार्च 2014 का अन्तोदय योजना का कूपन 300 परिवार का विक्रेता द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहवाड़ा के कार्यालय में भेजा गया, जिसकी प्राप्ति रसीद उपलब्ध है। विपक्षी के कारण पृच्छा में यह भी कथन है कि एक दिन पहले दिनांक 03.07.2014 को अस्वस्थ हुए एवं स्थानीय उपचार कराते हुए दिनांक 04.07.2014 को बेंता, लहेरियासराय स्थित आरोग्य निकेतन में अपना उपचार कराया, जिस कारण आवेदक छापामारी स्थल पर स्वयं उपस्थित नहीं था। विपक्षी के कारण पृच्छा में यह भी कथन है कि सरकारी दायित्वों का अक्षरशः पालन किया है एवं किसी भी तरह की अनियमितता नहीं किया है। विपक्षी का कारण पृच्छा में यह भी कथन है कि जब्त खाद्यान्न आदि को मुक्त करने हेतु अनुरोध करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि निदेशक लेखा प्रशासन एवं पुलिस निरीक्षक कमतौल, अंचल, दरभंगा का पर्यवेक्षण टिप्पणी में विपक्षी को दोषमुक्त किया गया है। परन्तु दोनों कार्यवाही अलग–अलग हैं। वर्त्तमान अधिहरण की कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहवाड़ा के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा पर स्वतंत्र रूप से प्रारम्भ की गयी है। अतः राज्यसात् किये गये खाद्यान्न को मुक्त करना उचित नहीं है।

अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सिमरी थाना कांड संख्या–94/2014 दिनांक 04.07.2014 में जब्त खाद्यान्न के बिक्री पश्चात प्राप्त राशि मो0–48,220.00 (अड़तालिस हजार दो सौ बीस) रुपये को राज्यसात् किया जा चुका है। अतः उसे मुक्त करना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

09/03/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा